कार्यालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल म.प्र.

: : परिपत्र : :

क्रमांक 82 /एक–01–01/2020 शहडोल, दिनांक 31/05/2021

प्रति,

1. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला शहडोल
2. समस्त अनुविभाग प्रभारी अधिकारीगण, जिला शहडोल
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल

विषय– जिला शहडोल में कोरोना कर्फ्यू/लाकडॉउन समाप्त हो जाने और कोरोना संक्रमण की दर में कमी आ जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय एवं समस्त बाह्य न्यायालयों में सीमित भौतिक एवं वर्चुअल कामकाज शुरू किए जाने के संबंध में।

सन्दर्भ– रजिस्ट्री का परिपत्र क्र. ए/113, जबलपुर दिनांक 15.01.2021, क्रमांक ए/1149 दिनांक 03.04.2021 एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल म.प्र. का आदेश क्रमांक 291 दिनांक 31.05.2021.

जिला शहडोल में कोरोना कर्फ्यू/लाकडॉउन समाप्त हो जाने और कोरोना संक्रमण की दर में कमी आ जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर के संदर्भित परिपत्र के माध्यम से जिला मुख्यालय शहडोल के समस्त न्यायालयों/कुटुम्ब न्यायालयों और बाह्य न्यायालयों में दिनांक 01.06.2021 से सीमित भौतिक एवं वर्चुअल सुनवाई प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। उक्त दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.06.2021 से आगामी आदेश तक समस्त न्यायालय एवं अनुभाग प्रातः 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुलेंगे तथा न्यायालय एवं अनुभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारी रोटेशन के आधार पर उपस्थित रहेंगे, जिनका निर्धारण पीठासीन अधिकारीगण/अनुभाग प्रभारी अधिकारीगण करेंगे। सीमित भौतिक एवं वर्चुअल सुनवाई के संबंध में कार्यालय विविध आदेश क्रमांक 105 दिनांक 12.12.2020 और विविध आदेश क्रमांक 80 दिनांक 18.01.2021 के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किया जाता है, जो दिनांक 01.06.2021 से प्रभावशील होंगें :–

- रिमाण्ड, जमानत एवं सुपुर्दीनामा से संबंधित मामले
- अपील एवं पुनरीक्षण (सिविल एवं आपराधिक दोनों)
- विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले
- 05/10/20 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित सिविल एवं आपराधिक प्रकरण
- मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण से संबधित प्रकरण
- मोटरयान दुर्घटना से संबंधित जमा राशि के भुगतान किये जाने से संबंधित मामले
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 से संबंधित मामले
- किशोर न्याय बोर्ड से संबधित मामले
- दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले
- ऐसे प्रकरण जिनमें राजीनामा प्रस्तुत किया गया है।
- ऐसे मामले जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विहित समयावधि में निराकृत किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। (सिविल एवं आपराधिक दोनों)
- अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक मामले, जिन्हें न्यायालय द्वारा शीघ्र सुनवाई किये जाने योग्य पाया जाता है।

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन सभी प्रकार के प्रकरणों को न्यायालयों द्वारा सुनवाई में लिया जाएगा।

2. समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी न्यायालयों में भौतिक/वर्चुअल कार्यप्रणाली को विनियमित करते समय प्रकरण विशेष के आधार पर साक्ष्य लिपिबद्ध करने के संबंध में स्वविवेक के आधार पर निर्णय ले सकेंगे।
3. कोविड–19 के प्रभाव के आधार पर अधिवक्ताओं और पक्षकारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक/वर्चुअल सुनवाई के साथ–साथ वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रकरण की सुनवाई कर सकेंगे।
4. न्यायालयों में न्यायाधीशगण, प्रस्तुतकार, अन्य स्टॉफ तथा अधिवक्ता एवं पक्षकारों के बीच प्लास्टिक के पर्दे न हो वहां तत्काल लगाए जायें।
5. प्रतिदिन सुनवाई में लिए जा रहे प्रकरणों के कॉज लिस्ट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। कॉज लिस्ट में दिए गए क्रम के अनुसार ही प्रकरण सुनवाई में लिए जायें। भोजनकाल के पूर्व एवं भोजनकाल के पश्चात् सुनवाई में लिए जाने प्रकरणों की भी कॉज लिस्ट प्रदर्शित की जाये।
6. प्रकरणों की आदेश पत्रिकाओं में अधिवक्ताओं, पक्षकारों एवं साक्षियों की उपस्थिति न्यायालय द्वारा दर्ज की जायेगी परन्तु इनके हस्ताक्षर तब तक नहीं लिये जायें, जब तक कि विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार ऐसा करना आवश्यक न हो।
7. प्रथम रिमांड प्राप्त करने के लिए अभियुक्त को न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् अभियुक्त की उपस्थिति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वीकार की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में न्यायाधीश के आदेश पर ही अभियुक्त को न्यायालय में भौतिक/वर्चुअल रूप से उपस्थित रखा जावे।
8. समस्त न्यायिक अधिकारी सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर CIS NC 3.2 में सुविधा का उपयोग करके संदेश के माध्यम से सम्मन प्रेषित किए जायें।
9. न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में उपस्थिति की सीमित रखते हेतु सुरक्षा के प्रभावी उपाय करते हुए न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार एवं स्टॉफ को प्रवेश दिया जाये।
10. क्वारंटाइन/आइसोलेट किए गए न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण, पक्षकारों एवं स्टॉफ की न्यायालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
11. पान, बीड़ी, गुटका, सिगरेट, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश तथा न्यायालय परिसर के अंदर थूकना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति उक्त निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाये तो उसके विरूद्ध केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये।
12. यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार, कर्मचारीगण बिना उचित मास्क के न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें।
13. न्यायालय परिसर में प्रवेश कर रहे न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता पक्षकार कर्मचारी की थर्मल स्नैकर से जांच उपरांत प्रवेश सुनिश्चित किया जावे।
14. किसी व्यक्ति/अधिवक्ता/कर्मचारी में बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावे। किसी कर्मचारी में उपरोक्त लक्षण पाये जाने की स्थिति में तत्काल पीठासीन अधिकारी/जिला न्यायाधीश को सूचित किया जावे।
15. किसी अधिवक्ता में बुखार या फ्लू के लक्षण पाए जाने पर जिला न्यायाधीश के संज्ञान में लाये जाने हेतु संबंधित अधिवक्ता संघ को सूचित किया जावे।
16. न्यायालय के अंदर केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को प्रवेश दिया जावेगा, जिनका प्रकरण सुनवाई में लिया जा रहा है, शेष अधिवक्तागण न्यायालय परिसर/न्यायालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये, अपने प्रकरण की सुनवाई की प्रतीक्षा करेंगे।
17. कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए कोर्ट परिसर के भीतर स्थित कैंटीन, फोटोकॉपी की दुकानें बंद रहेंगी।
18. सुरक्षा मापदंडो का पालन करते हुए अधिवक्ता संघ के कक्ष, चैंबर, बार लायब्रेरी खोले जा सकेंगे। अध्यक्ष अधिवक्ता संघ सुरक्षा मापदंडों का पालन कराते हुए स्वच्छता के साथ बार कक्षों में व्यक्तियों के सीमित प्रवेश सुनिश्चित करायेंगे।

19. सम्पूर्ण न्यायालय परिसर जैसे न्यायालय कक्ष, पीठासीन अधिकारी के विश्राम कक्ष, कार्यालयों, शौचालयों और आम उपयोग की जगह का समुचित स्वच्छता सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालयों और गलियारों में हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराये जायें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी व्यक्ति हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर के बिना न्यायालय कक्ष/न्यायालय परिसर में प्रवेश न करें।

20. जिला न्यायाधीशों को सैनिटाइजर की व्यवस्था के अलावा पर्याप्त संख्या में वॉश बेसिन की स्थापना सुनिश्चित की जावे ताकि आगंतुक/वकील/ कर्मचारी कोर्ट परिसर/कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को ठीक से साफ कर सकें।

21. न्यायालय के अंदर केवल उन्हीं अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को प्रवेश दिया जावेगा, जिनका प्रकरण सुनवाई में लिया जा रहा है, शेष अधिवक्तागण न्यायालय परिसर/न्यायालय के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये, अपने प्रकरण की सुनवाई की प्रतीक्षा करेंगे।

22. सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण, कर्मचारीगण और अन्य व्यक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर या कोर्ट रूम में सामाजिक दूरी बनाए रखा जाए। किसी भी स्थिति में 10 से अधिक व्यक्तियों (अधिवक्ता/गवाह/पक्षकार/ अभियुक्त) (स्थान की उपलब्धता के अधीन) को एक न्यायालय कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायालय कक्ष में स्थान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों के प्रवेश की संख्या के संबंध में निर्देश जारी किए जा सकेंगे। न्यायालय में प्रकरणों की एक-एक करके निरंतर सुनवाई जारी रहेगी। दो प्रकरणों की सुनवाई के बीच 02 मिनट का अंतराल रखेंगे एवं इस अंतराल अवधि में विधिवत् सैनिटाइजिंग उपरांत ही अगले प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ की जावे।

23. सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी बनाते हुए न्यायालय कक्ष में बैठने हेतु कुर्सियॉ/बेंच लगाई जावें। इसी प्रकार कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था भी सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए की जावे।

24. किसी भी स्थिति में न्यायालय कक्ष, बरामदा या खुले स्थान, गलियारे या न्यायालय परिसर में भीड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होना सुनिश्चित किया जावे।

25. न्यायालय परिसर में डिस्प्ले के माध्यम से प्रकरणों से संबंधित समस्त आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

26. न्यायालय की वेबसाइट पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय और मामलों की अगली तारीख अपलोड/अपडेट की जावे।

27. जिन न्यायालयों में फाइलिंग काउंटर की सुविधा नहीं हैं, शारीरिक संपर्क से बचने के लिए, उन न्यायालयों में आवेदन/याचिका आदि प्राप्त करने के लिए ड्रॉप बॉक्स की सुविधा प्रदान की जाये। ऐसे मामलों में संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता अपने आवेदन/याचिका में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख आवश्यक रूप से करेंगे।

28. जिन अधिवक्ता/पक्षकार का प्रकरण की सुनवाई सम्पन्न की जा चुकी हो वह तत्काल न्यायालय कक्ष छोड़कर बाहर चले जायें।

29. शासन द्वारा जारी एड्वाइजरी के अनुसार 65 वर्ष और अधिक उम्र वाले अधिवक्ताओं को भौतिक उपस्थिति से बचने की सलाह दी जावे।

30. उपरोक्त कार्यों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है, जो प्रतिदिवस जिला एवं सत्र न्यायाधीश को स्थितियों से अवगत करायेगी:-

जिला मुख्यालय, शहडोल

1. विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा. अत्या.निवा. अधि.), शहडोल
2. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ, शहडोल
3. उप प्रशासनिक अधिकारी (द्वितीय), शहडोल

तहसील न्यायालय, बुढ़ार

1. श्री आर. प्रजापति, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुढ़ार
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बुढ़ार
3. नायब नाजिर, बुढ़ार

तहसील न्यायालय, जयसिंहनगर

1. श्री अनिल कुमार साहू, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयसिंहनगर
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, जयसिंहनगर
3. नायब नाजिर, जयसिंहनगर

तहसील न्यायालय, ब्यौहारी

1. श्री जयदीप सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब्यौहारी
2. श्री शीतला प्रसाद पटेल, अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, ब्यौहारी
3. नायब नाजिर, ब्यौहारी

श्रृंखला न्यायालय, जैतपुर

1. श्री संगम सिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, श्रृंखला न्यायालय, जैतपुर
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, जैतपुर
3. नायब नाजिर, जैतपुर

31. न्यायालय परिसर के अंदर सभी प्रकार के समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
32. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं, पक्षकारों आदि के प्रवेश, बैठक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार में न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए मौजूदा स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के उपयुक्त बदलाव एवं व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होंगे।
33. कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
34. यदि कोई अधिवक्ता या पक्षकार उपरोक्त दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए संबंधित जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय राज्य अधिवक्ता परिषद एवं संबंधित अधिवक्ता संघ को सूचित करेंगे एवं आवश्यक होने पर उचित कार्यवाही कर सकेंगे।

समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण एवं कर्मचारीगण उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल म.प्र.

कमांक 470/एक–01–01/2020 **शहडोल, दिनांक 31/05/2021**

प्रतिलिपि–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ शहडोल/बुढ़ार/जयसिंहनगर/ब्यौहारी/जैतपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला दंडाधिकारी, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला आबकारी अधिकारी, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

7. थाना प्रभारी, जी.आर.पी. शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक, शहडोल/अतिरिक्त लोक अभियोजक, ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. अधीक्षक, जिला जेल शहडोल/उपजेल बुढ़ार/ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. उप संचालक, जनसंपर्क, शहडोल की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12. प्रशासनिक अधिकारी/जिला नाजिर, शहडोल की ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. सिस्टम ऑफीसर, शहडोल की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करें एवं परिपत्र की प्रति शहडोल जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें।

14. जिला नाजिर/नायब नाजिर, नजारत अनुभाग, शहडोल/बुढ़ार/जयसिंहनगर/ब्यौहारी/जैतपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्लास्टिक पर्दा, सैनिटाइजर, हैंड वाश एवं थर्मल स्कैनर नियमानुसार क्रय कर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्न</u>– रजिस्ट्री का परिपत्र क. ए/113,
जबलपुर दिनांक 15.01.2021 एवं
कमांक ए/1149 दिनांक 03.04.2021.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शहडोल म.प्र.